कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़

"द्वितीय विज्ञप्ति"

वर्ष 2026–27 के लिए भांग की थोक दुकान का व्यवस्थापन

क्रमांक/आब./ठेका/2026/3044 नवा रायपुर, दिनांक: 30/03/2026

सर्व साधारण की जानकारी एवं भांग के ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि, छत्तीसगढ़ राज्य में भांग की थोक दुकान के लिए लायसेंस, आवेदन प्रणाली अंतर्गत वर्ष 2026–27 की शेष अवधि के लिए दिनांक **01.04.2026** से **15.04.2026** तक अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में निर्धारित प्रपत्र में समस्त औपचारिक्ताओं की पूर्ति पश्चात् आवेदन पत्र कार्यालय आबकारी आयुक्त, जी.एस.टी. भवन, अटल नगर, नवा रायपुर में जमा किये जा सकेंगे। दिनांक **17.04.2026 को दोपहर 03:00** बजे से "मेन्युअल लॉटरी" के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारियों का चयन किया जावेगा।

उपरोक्त विषय से संबंधित जानकारी, आबकारी आयुक्त कार्यालय से अवकाश के दिनों को छोडकर किसी भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। किसी कारणवश निर्धारित तिथि एवं समय में अनुज्ञप्तिधारी के चयन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने की परिस्थिति में थोक लायसेंस हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा घोषित तिथि एवं समय में की जा सकेगी।

उपरोक्त विषय से संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश/विज्ञप्ति आबकारी विभाग के वेबसाईट https://excise.cg.nic.in पर भी उपलब्ध है।

30/3/26

आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़

"विज्ञप्ति"

वर्ष 2026–27 के लिए भांग की थोक दुकान का व्यवस्थापन

क्रमांक/आब./ठेका/2026/1636 नवा रायपुर, दिनांकः 10/03/2026

——::0::——

राज्य शासन द्वारा लिए गये निर्णय अनुसार सर्व साधारण की जानकारी एवं भांग के ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि, छत्तीसगढ़ राज्य में भांग की थोक दुकान के लिए लायसेंस, आवेदन प्रणाली अंतर्गत वर्ष 2026–27 अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक की अवधि हेतु सारणी में वर्णित तिथि एवं स्थानों में दिनांक **11.03.2026 से 25.03.2026** तक (अवकाश के दिनों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में निर्धारित प्रपत्र में समस्त औपचारिक्ताओं की पूर्ति पश्चात् आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे। भांग की थोक दुकान की अनुज्ञप्ति के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दिनांक **27.03.2026** को **दोपहर 03:00 बजे** से **"मेन्युअल लॉटरी"** के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारियों का चयन किया जावेगा। भांग की थोक दुकान के व्यवस्थापन के संबंध में अधिसूचित छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 में प्रावधानित नियम, शर्तें, शुल्क, ड्यूटी दरें मादक पदार्थों की खपत आदि की जानकारी, थोक विक्रय लायसेंस के संबंध में आबकारी आयुक्त कार्यालय से अवकाश के दिनों को छोड़कर किसी भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। किसी कारणवश निर्धारित तिथि एवं समय में अनुज्ञप्तिधारी के चयन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने की परिस्थिति में भांग की थोक दुकान के व्यवस्थापन हेतु कार्यवाही आबकारी आयुक्त द्वारा घोषित तिथि एवं समय में की जा सकेगी।

2/ वर्ष 2026–27 के लिए भांग की थोक दुकान के व्यवस्थापन हेतु तिथि एवं स्थल का कार्यक्रमः–

राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार प्रदेश में भांग के थोक कब्जे एवं विक्रय हेतु राज्य के भीतर केवल एक अनुज्ञप्ति (प्रारूप एच.डी.–1 में) जारी की जावेगी। जिसकी अवस्थिति रायपुर में होगी तथा जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तारित होगा। एक से अधिक आवेदकों की स्थिति में लॉटरी पद्धति द्वारा अनुज्ञप्तिधारी का चयन किया जावेगा। वर्ष 2026–27 के लिए भांग की थोक दुकान के व्यवस्थापन हेतु तिथि एवं स्थल का कार्यक्रम निम्नानुसार होगा :–

क्र.	लायसेंस का प्रकार	लायसेंस का नाम	लायसेंस की अवस्थिति एवं अधिकारिता क्षेत्र	व्यवस्थापन स्थल	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	लाटरी के माध्यम से चयन की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	भांग का थोक में कब्जे एवं विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति	एच. डी –1 रायपुर	रायपुर नगर निगम सीमा के अंदर लायसेंस का कार्यक्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तारित होगा।	कार्यालय आबकारी आयुक्त, जी. एस.टी. भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।		

3/ <u>व्यक्ति जो भांग की थोक दुकान के लायसेंस लेने से वर्जित होंगे</u> :—

(1) भांग की थोक दुकान के लायसेंस ऐसे व्यक्ति ले सकेंगे, जो आबकारी लायसेंस प्राप्त करने के लिए योग्यता रखते हों, निम्नांकित व्यक्ति भांग की थोक दुकान के लायसेंस प्राप्त करने के लिए "अयोग्य" रहेंगे :—

(क) कोई भी व्यक्ति, जो भारत का नागरिक न हो।

(ख) कोई भी व्यक्ति, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो।

(ग) कोई भी व्यक्ति, जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी राशि अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार हो। वित्तीय वर्ष 2025—26 का अनुज्ञप्तिधारी जिसके द्वारा उसके ठेके की सम्पूर्ण समयावधि की देय लायसेंस फीस न पटाई गई हो।

(घ) कोई भी व्यक्ति, जो पहले कभी लायसेंसी रहा हो और लायसेंसी की हैसियत से उसका आचरण अनुज्ञापन प्राधिकारी के मत में संतोषजनक न रहा हो।

(ड.) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की काली सूची में हो।

(च) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की व्यतिक्रमी सूची में हो।

(छ) कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में अनुज्ञापन प्राधिकारी को यह विश्वास हो कि वह बुरे आचरण वाला है।

(ज) कोई भी व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ के किसी पड़ोसी राज्य में समीप के क्षेत्र में उसी प्रकार का ठेका लिये हो अथवा ऐसे ठेकेदार का अभिकर्त्ता हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915, पूर्व में प्रभावशील डेन्जरस ड्रग्स एक्ट 1930, पूर्व में प्रभावशील छत्तीसगढ़ प्रोहिबिशन एक्ट 1936, पूर्व में प्रभावशील अफीम अधिनियम 1878, या नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड सायकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट 1985, तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति की शर्तों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो अथवा ऐसे अपराधों के लिए किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया हो, जो उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी के विचार में अनुज्ञप्तियों का अवांछनीय धारक बना देता है।

<u>टिप्पणी</u>:— **बकाया राशि की पूर्ण अदायगी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त कंडिका 3 (1) (ग) में उल्लिखित शर्त अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा शिथिल की जा सकेगी। इसी प्रकार काली सूची में से नाम विलोपित किये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त कंडिका 3 (1) (ड.) की शर्त अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा शिथिल की जा सकेगी।**

4/ <u>भांग की थोक दुकान के लायसेंस लेने हेतु जमा किये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज</u> :—

कोई भी आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कंपनी), जो भांग की थोक दुकान के लायसेंस लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है, उसे निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करते समय निम्नानुसार दस्तावेजों की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा :—

(1) <u>आयु के प्रमाण के लिए</u> — म्यूनिसिपल अथॉरिटी या रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु जिला कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या अंतिम स्कूल से जारी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र या अशिक्षित/अर्द्धशिक्षित आवेदक द्वारा जन्म तिथि के लिए मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष संलग्न प्रारूप में दिया गया शपथ पत्र या पेनकार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, **इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि** संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) <u>स्थायी निवास के प्रमाण के लिए</u> — मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आयकर निर्धारण आदेश, ड्राईविंग लायसेंस, संबंधित राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा

जारी निवास प्रमाण पत्र, जल, टेलीफोन, बिजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेटमेंट, **इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि** संलग्न करना अनिवार्य है।

(3) आवेदक को आयकर विभाग द्वारा आबंटित पेन कार्ड की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि जमा करना अनिवार्य है।

(4) आवेदक को निर्धारित आवेदन शुल्क के लिए नगद चालान अथवा बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के पे-ऑर्डर की मूलप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) भांग की थोक दुकान के लायसेंस लेने हेतु लायसेंस अवधि के लिए कोई भी आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कंपनी) एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(6) कोई भी आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कंपनी), थोक एवं फुटकर विक्रय की अनुज्ञप्ति साथ-साथ धारित नही कर सकेगा। भांग की थोक दुकान के लिए लॉटरी के माध्यम से किसी आवेदक का चयन प्रथम चयनित आवेदक के रूप में होता है और बाद में यह पाया जाता है कि, चयनित आवेदक राज्य के किसी जिले में भांग/भांग-घोटा की फुटकर दुकान का अनुज्ञप्तिधारी है, तो उसका चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा एवं लॉटरी के माध्यम से चयनित द्वितीय आवेदक को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु **दो कार्य दिवस** का अवसर दिया जावेगा। यदि द्वितीय चयनित आवेदक भी निर्धारित समयावधि में लायसेंस प्राप्त करने हेतु असमर्थ रहता है, तो तृतीय चयनित आवेदक को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु दो कार्य दिवस का अवसर दिया जावेगा। यदि तृतीय चयनित आवेदक भी निर्धारित समयावधि में लायसेंस प्राप्त करने हेतु असमर्थ रहता है, तो कंडिका क्रमांक-10 के अनुसार दुकान के व्यवस्थापन की प्रक्रिया अपनाई जावेगी। उपरोक्तानुसार लायसेंस प्राप्त करने में असफल रहे आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कंपनी) को व्यतिक्रमी सूची में डाल दिया जाएगा तथा भविष्य के लिए आवेदन करने से अवरूद्ध किया जावेगा।

(7) प्रदेश में भांग की थोक दुकान का लायसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रणाली के अन्तर्गत व्यवस्थापन के तहत चयनित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में वर्णित जानकारियों के समर्थन में मूल अभिलेखों के साथ चयन के **दो कार्य दिवस** के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

(8) किसी भी आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कंपनी) को भांग की थोक एवं भांग/भांग-घोटा की फुटकर दुकान में से केवल थोक अथवा फुटकर दुकानों का लायसेंस जारी किया जा सकेगा अर्थात कोई भी थोक एवं फुटकर दोनों का लायसेंस एक साथ धारण नहीं कर सकेगा।

(9) आवेदक यदि फर्म/कंपनी हो तो संबंधित फर्म/कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरी की व्यक्तिगत जानकारी फर्म/कंपनी की अन्य सुसंगत जानकारियों के साथ इस प्रकार प्रस्तुत करेगा जैसा कि व्यक्तिगत आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है।

5/ <u>भांग की थोक दुकान के लायसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क</u> :-

छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 में भांग की थोक दुकान के लायसेंस प्राप्त करने हेतु यथा संशोधित छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 10-14/2023/वा.क.(आब.)/पांच(58) नवा रायपुर दिनांक 11.06.2024 द्वारा जारी भांग की थोक एवं भांग/भांग-घोटा की फुटकर दुकानों के लायसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क रू. 1000/- (एक हजार मात्र) निर्धारित है। तदानुसार आवेदन शुल्क की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के पे-ऑर्डर के रूप में अथवा नगद राशि

विभाग के **"मुख्य शीर्ष 0039–राज्य उत्पाद शुल्क, 800–अन्य प्राप्तियाँ, 0761–विविध प्राप्तियाँ (भांग की थोक एवं भांग/भांग–घोटा की फुटकर दुकानों हेतु आवेदन शुल्क)"** के मद में चालान द्वारा जमा कराई जाकर, बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के पे–ऑर्डर अथवा चालान की मूलप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क की उक्त राशि न तो लायसेंस फीस में समायोजन योग्य होगी और न ही यह राशि अनुज्ञप्ति स्वीकृत न होने पर वापसी योग्य होगी।

6/ भांग की थोक दुकान के आबंटन के लिए आवेदन पत्र :–

(1) आवेदनकर्ता वर्ष 2026–27 में भांग की थोक दुकान के आबंटन के लिए आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 में वर्णित एवं परिशिष्ट–"एक (क)" में निर्धारित प्रारूप अनुसार जमा करेगा।

(2) अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु जमा किए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाला निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र संलग्न परिशिष्ट–"दो" अनुसार आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) अशिक्षित/अर्द्धशिक्षित आवेदक, अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु जमा किए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाला अशिक्षित/अर्द्धशिक्षित आवेदक हेतु जन्म तिथि के लिए मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष दिए जाने वाले शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न परिशिष्ट–"तीन" अनुसार आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

(4) भांग की थोक दुकान के लिए आवेदन प्रक्रिया के तहत अपरिहार्य स्थिति में निर्धारित तिथि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार आबकारी आयुक्त के पास सुरक्षित रहेगा।

7/ भांग की थोक दुकान के अनुज्ञप्तिधारी के चयन की प्रक्रिया :–

(1) **वर्ष 2026–27 में भांग की थोक दुकान के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा "लॉटरी" निकालकर दुकानों के अनुज्ञापी (लायसेंसी) का चयन किया जावेगा।** यह कार्यवाही निम्नांकित समिति के द्वारा की जावेगी :–

(क)	आबकारी आयुक्त	– अध्यक्ष
(ख)	आबकारी आयुक्त द्वारा नामांकित अपर आयुक्त आबकारी	– सदस्य, सचिव

(2) सर्वप्रथम भांग की थोक दुकान के लिए केवल एक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में परीक्षण उपरांत उपयुक्त पाए जाने पर आवेदक को संबंधित दुकान/दुकानों के लिए अनुज्ञापी (लायसेंसी) के रूप में चयनित घोषित किया जावेगा।

(3) भांग की थोक दुकान के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में कंडिका (7.1) द्वारा लॉटरी निकालकर दुकानों के अनुज्ञापी (लायसेंसी) का चयन किया जायेगा। इस प्रणाली में तीन आवेदकों का चयन क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित आवेदक के रूप में किया जावेगा।

(4) यदि प्रथम चयनित आवेदक द्वारा अपने चयन के **दो कार्य दिवस** के भीतर कंडिका–12 के अनुसार वार्षिक लायसेंस फीस जमा नहीं किया जाता है अथवा अन्य किसी कारण से उसका चयन निरस्त हो जाता है, तो चयन सूची के दूसरे क्रम पर आए आवेदक को संबंधित भांग की थोक दुकान का लायसेंस प्राप्त करने का अवसर दिया जावेगा।

(5) यदि दूसरे क्रम पर चयनित आवेदक के द्वारा भी अपने चयन के **दो कार्य दिवस** के भीतर कंडिका–12 के अनुसार वार्षिक लायसेंस फीस जमा नहीं किया जाता है अथवा अन्य किसी कारण से उसका चयन निरस्त हो जाता है, तो चयन सूची के तीसरे क्रम

पर आए आवेदक को संबंधित भांग की थोक दुकान का लायसेंस प्राप्त करने का अवसर दिया जावेगा। यदि तृतीय चयनित आवेदक द्वारा अपने चयन के **दो कार्य दिवस** के भीतर कंडिका–12 के अनुसार वार्षिक लायसेंस फीस जमा नहीं किया जाता है अथवा अन्य किसी कारण से उसका चयन निरस्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में दुकान का व्यवस्थापन की कार्यवाही भांग नियम, 2021 अनुसार की जावेगी।

(6) भांग की थोक दुकान के लिए लॉटरी निकालने की नियत तिथि के पूर्व समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों एवं लॉटरी में शामिल किए जाने वाले उपयुक्त आवेदन पत्रों की सूची अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय के सूचना पटल पर सभी आवेदकों के अवलोकन के लिए प्रदर्शित की जावेगी। निरस्त किए गए आवेदनों की सूची, निरस्त करने के कारण को दर्शाते हुए तैयार की जा कर सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी।

(7) भांग की थोक दुकान की लॉटरी निकालने के दिवस को लॉटरी द्वारा चयन प्रक्रिया के स्थल पर केवल आवेदकों को प्रवेश दिया जावेगा।

(8) कोई भी आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कंपनी) थोक एवं फुटकर विक्रय की अनुज्ञप्ति साथ–साथ धारित नहीं कर सकेगा।

8/ <u>आवेदन पत्र की प्रविष्टि तथा लॉटरी प्रक्रिया :–</u>

लायसेंस अवधि के लिए भांग की थोक दुकान के आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रविष्टि तथा लॉटरी निकालने के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित् किया जावे :–

(1) **लायसेंस अवधि के लिए** भांग की थोक दुकान हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का सूक्ष्मता पूर्वक परीक्षण किया जाये तथा जो आवेदन पत्र परीक्षण उपरांत निरस्त किये जाते हैं, उनके पर्याप्त कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(2) परीक्षण उपरांत उपयुक्त पाए गए आवेदन पत्रों की सूची तैयार कर सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावे। लॉटरी निकालने के पूर्व **किसी तरह की त्रुटि न हो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी थोक अनुज्ञप्ति हेतु सदस्य सचिव की होगी।**

(3) भांग की थोक दुकान का ड्रा निकालने के पश्चात् पंजी में समिति के अध्यक्ष एवं पदेन सचिव द्वारा हस्ताक्षर लिया जावे। यदि संबंधित दुकान के चयनित आवेदक लॉटरी स्थल पर उपस्थित हों तो, उनके हस्ताक्षर लिए जावें। इस बाबत् लॉटरी प्रक्रिया के पूर्व ही पंजी तैयार कर लिया जावे।

(4) भांग की किसी थोक दुकान के लायसेंस प्राप्त करने हेतु एक से अधिक उपयुक्त पाए गये आवेदन पत्रों में से निर्देश की कंडिका क्रमांक–7 (1) अनुसार उल्लेखित समिति के द्वारा **"मेन्युअल"** तरीके से लॉटरी के माध्यम से अनुज्ञापी का चयन किया जावेगा।

9/ <u>भांग की ड्यूटी दरें :–</u>

(क) (1) **लायसेंस अवधि के लिए** भांग की ड्यूटी दरों का निर्धारण छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 में वर्णित है। तदानुसार ड्यूटी राशि जमा कराई जावे।

(2) उपरोक्तानुसार जमा की जाने वाली ड्यूटी राशि **"मुख्य शीर्ष 0039–राज्य उत्पाद शुल्क, 800–अन्य प्राप्तियाँ, 0761–विविध प्राप्तियाँ (भांग की थोक एवं भांग/भांग–घोटा की फुटकर दुकानों हेतु ड्यूटी राशि)"** के मद में चालान द्वारा ऑन–लाईन जमा कराई जाकर, मूलप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ख) **आबकारी कर योग्य वस्तुओं पर शुल्क (ड्यूटी) पर 10% अधिभार :–**

(1) आबकारी शुल्क (ड्यूटी) योग्य वस्तुओं के विहित शुल्क (ड्यूटी) पर 10% अधिभार देय होगा, जिसका अंतरण ग्रामीण तथा नगरीय निकायों को जनसंख्या के अनुपात में दिया जावेगा।

आबकारी शुल्क के साथ ही अधिभार की राशि जमा कराई जावेगी। उक्त प्रावधान समस्त सुसंगत अनुज्ञप्तियों पर समान रूप से लागू होगा।

(2) उपरोक्तानुसार जमा की जाने वाली अधिभार की राशि **"मुख्य शीर्ष 0039—राज्य उत्पाद शुल्क, 800—अन्य प्राप्तियाँ, 0761—विविध प्राप्तियाँ (भांग की थोक एवं भांग/भांग—घोटा की फुटकर दुकानों हेतु ड्यूटी पर अधिभार की राशि)"** के मद में चालान द्वारा ऑन—लाईन जमा कराई जाकर, मूलप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10/ भांग की थोक दुकान के व्यवस्थापन की कार्यवाही :—

भांग की थोक दुकान के प्रथम बार व्यवस्थापन के संबंध में पृथक से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जा रहा है, व्यवस्थापन न होने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी के चयन के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावेगी :—

(1) निर्देश के बिन्दु क्रमांक—07 में वर्णित भांग की थोक दुकान के व्यवस्थापन की कार्यवाही पहली बार में निर्धारित कार्यक्रम एवं प्रक्रिया अनुसार किया जावेगा, व्यवस्थापन न होने की स्थिति में पुनः आवेदन जमा होने पर ***"प्रथम आओ प्रथम पाओ"*** के नीति के तहत अनुज्ञप्ति दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

11/ भांग का प्रदाय :—

(1) छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 में समस्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए भांग के प्रदाय व्यवस्था के प्रावधान किये गये हैं। तदानुसार भांग प्रदाय की कार्यवाही किया जावे।

(2) वर्ष 2025—26 में राज्य शासन के अधीन संचालित भांग के थोक गोदामों में संग्रहित भांग एवं फुटकर अनुज्ञप्तिधारियों के पास वित्तीय वर्ष 2025—26 की समाप्ति पर शेष रहे भांग/भांग—घोटा की स्कंध का निराकरण छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (यथासंशोधित) के तहत निर्मित सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक—25 के तहत किया जावेगा।

(3) वित्तीय वर्ष 2025—26 की समाप्ति पर आबकारी आयुक्त द्वारा अधिकृत थोक लायसेंसी के गोदामों में संग्रहित भांग स्कंध का निर्धारित ड्यूटी राशि, परिवहन फीस एवं भांग की कीमत का भुगतान कर आगामी वर्ष 2026—27 हेतु थोक लायसेंसी के द्वारा संपूर्ण बचत स्कंध का क्रय किया जाना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात भांग के थोक अनुज्ञप्तिधारी को उसके विकल्प पर अन्यत्र स्थानों से भांग क्रय परिवहन करने अनुज्ञात किया जावेगा।

(4) भांग के थोक विक्रय हेतु केवल एक थोक विक्रय लायसेंस स्वीकृत किया जावेगा। जहां से राज्य के समस्त फुटकर अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप भांग क्रय किया जावेगा। भांग की थोक विक्रय अनुज्ञप्ति अस्तित्व में न होने अथवा भांग के फुटकर विक्रय अनुज्ञप्तिधारियों को मांग अनुरूप भांग उपलब्ध न करा पाने आदि की स्थिति में संबंधित फुटकर विक्रय अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा भांग क्रय करने हेतु उस प्रक्रिया का पालन किया जावेगा, जो इस हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा विहित किया जावेगा।

12/ भांग की थोक दुकान की वार्षिक लायसेंस फीस :—

(1) छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 10—14/2023/वा.क.(आब.)/पांच(58) नवा रायपुर दिनांक 11.06.2024 द्वारा जारी संशोधन अनुसार भांग की थोक दुकान के लायसेंस प्राप्त करने हेतु वार्षिक लायसेंस फीस रू. 25,00,000/— (पच्चीस लाख रूपये मात्र) निर्धारित है।

(2) उपरोक्तानुसार जमा की जाने वाली धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के पे—ऑर्डर के रूप में अथवा नगद राशि विभाग के **"मुख्य शीर्ष 0039—राज्य उत्पाद शुल्क, 800—अन्य प्राप्तियाँ, 0761—विविध प्राप्तियाँ (भांग/भांग—घोटा की थोक/फुटकर दुकानों हेतु लायसेंस फीस)"** के मद में चालान द्वारा ऑन—लाईन जमा कराई जाकर, बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के पे—ऑर्डर अथवा चालान की मूलप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13/ भांग की थोक दुकान की प्रतिभूति राशि :–

(1) छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 में भांग की थोक दुकान की अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक अनुपालन के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क के 25 प्रतिशत की समतुल्य राशि की नगद चालान, प्रतिभूति या बैंक प्रतिभूति निक्षेप (गारंटी) जमा कराया जाना प्रावधानित है। तदानुसार प्रतिभूति राशि जमा होने के पश्चात् ही अनुज्ञप्ति जारी किया जावे।

(2) प्रतिभूति राशि या बैंक प्रतिभूति निक्षेप के अलावा राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के पे–ऑर्डर के रूप में अथवा नगद राशि विभाग के **"मुख्य शीर्ष 0039–राज्य उत्पाद शुल्क, 800–अन्य प्राप्तियाँ, 0761–विविध प्राप्तियाँ (भांग/भांग–घोटा की थोक/फुटकर दुकानों हेतु प्रतिभूति राशि)"** के मद में चालान द्वारा ऑन–लाईन जमा कराई जा सकती है।

(3) प्रतिभूति राशि **30 जून 2027 तक** की अवधि के लिए जमा कराई जावे जो कि लायसेंस अवधि में किसी भी प्रकार के बकाया आदि में समायोजन योग्य एवं कोई भी बकाया न रहने की स्थिति में 30 जून 2027 के पश्चात् वापसी योग्य होगा।

14/ भांग का आयात शुल्क :–

(1) छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 में प्रदेश में किए जाने वाले भांग के आयात पर रू. 100/– प्रति कि.ग्रा. की दर से आयात शुल्क निर्धारित है। तदानुसार भांग के आयात पर आयात शुल्क जमा कराई जावे।

(2) उपरोक्तानुसार जमा की जाने वाली राशि विभाग के **"मुख्य शीर्ष 0039–राज्य उत्पाद शुल्क, 800–अन्य प्राप्तियाँ, 0761–विविध प्राप्तियाँ (भांग का आयात शुल्क)"** के मद में चालान द्वारा ऑन–लाईन जमा कराई जाकर चालान की मूलप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

15/ भांग का निर्यात शुल्क :–

(1) छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 में प्रदेश से किए जाने वाले भांग के निर्यात पर रू. 50/– प्रति कि.ग्रा. की दर से निर्यात शुल्क निर्धारित है। तदानुसार भांग के निर्यात पर निर्यात शुल्क जमा कराई जावे।

(2) उपरोक्तानुसार जमा की जाने वाली राशि विभाग के **"मुख्य शीर्ष 0039–राज्य उत्पाद शुल्क, 800–अन्य प्राप्तियाँ, 0761–विविध प्राप्तियाँ (भांग का निर्यात शुल्क)"** के मद में चालान द्वारा ऑन–लाईन जमा कराई जाकर चालान की मूलप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

16/ भांग की थोक दुकान के लिए लायसेंस अवधि :–

(1) वर्ष 2026–27 के लिए स्वीकृत की जाने वाली भांग की थोक दुकान की लायसेंस अवधि वित्तीय वर्ष (आबकारी वर्ष) 2026–27 अर्थात् दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 31.03.2027 तक रहेगी।

(2) छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 के अंतर्गत भांग की थोक दुकान के लिए स्वीकृत की जाने वाली अनुज्ञप्तियां आबकारी वर्ष अर्थात दिनांक 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के लिए प्रदान किये जाने का प्रावधान है। यदि कोई अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियां आबकारी वर्ष के मध्य में प्रदाय की जाती है, तो उसकी अवधि 31 मार्च को समाप्त होगी।

17/ भांग की बिक्री का समय :–

वर्ष 2026–27 के लिए भांग के थोक विक्रय दुकान के खुलने का समय प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

18/ भांग दुकानों के साईन बोर्ड :–

भांग की थोक दुकान के अनुज्ञप्तिधारी को दुकान के प्रवेश द्वार पर एक सहज दृश्य साईनबोर्ड, जिसका आकार **3 फुट x 2 फुट** का होगा, प्रदर्शित करेगा, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी का नाम, दुकान का प्रकार एवं नाम, दुकान खुलने एवं बंद होने का समय, दुकान की अवस्थिति तथा लायसेंस की अवधि अंकित होगी। साईनबोर्ड में लिखावट के लिए **साईनबोर्ड की शीट लाल रंग** एवं **अक्षर सफेद रंग** से अंकित किए जावेंगे।

19/ नशा बंदी की नीति तथा प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप भांग दुकाने बंद करना :–

राज्य में नशा बंदी की नीति तथा प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप या किसी अन्य कारण से भांग की किसी दुकान को पूर्ण अथवा आशिंक अवधि के लिए बंद करने का निर्णय लिया जाता है, तो वैसा करने का अधिकार आबकारी आयुक्त का होगा। इस कारण से अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति शासन द्वारा देय नहीं होगी।

इसी प्रकार यदि भांग की थोक दुकान के व्यवस्थापन की अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी दैवीय विपत्ति या प्राकृतिक प्रकोप अथवा सामाजिक उपद्रवों, आंदोलनों, कानून व्यवस्था आदि संबंधी समस्याओं के फलस्वरूप किसी प्रकार की कोई क्षति होती है, तो अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति शासन द्वारा देय नहीं होगी।

20/ भांग की थोक दुकान के लिए अभिकर्ताओं की नियुक्ति :–

(1) भांग की थोक दुकान के संचालन के लिए लायसेंसियों द्वारा अभिकर्ताओं/नौकरों को रखा जाता है, तो ऐसे अभिकर्ता/नौकर का नौकरनामा स्वीकृति हेतु आवेदन रायपुर जिले के उपायुक्त आबकारी कार्यालय में लायसेंस अवधि प्रारम्भ होने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा संबंधित जिले में विधिवत् कार्यवाही एवं आवश्यक जाँचोपरान्त **फोटोयुक्त नौकरनामा लायसेंस जारी होने के 15 दिवस के भीतर मंजूर किये जायेंगे।**

(2) आवेदक के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित होने पर वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि होगी या जो किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित होगा या 21 वर्ष से कम आयु का होगा या महिला होगी।

21/ निरीक्षण पुस्तिका :–

छत्तीसगढ़ भांग नियम 2021 में भांग की थोक दुकान में निरीक्षण पुस्तिका रखने के प्रावधान निहित हैं, जिसके अनुसार भांग की थोक दुकान का लायसेंसी दुकान में एक निरीक्षण पुस्तिका रखेगा और दुकान के निरीक्षण के समय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

22/ लेखा पंजी :–

छत्तीसगढ़ भांग नियम 2021 में भांग की थोक दुकान में निर्धारित प्रारूप में लेखा पंजी संधारित किए जाने के प्रावधान निहित हैं, जिसके अनुसार भांग की थोक दुकान का लायसेंसी दुकान में एक लेखा पंजी संधारित कर भांग के स्कंध का सम्पूर्ण ब्योरा अद्यतन रखेगा और दुकान के निरीक्षण के समय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

23/ भांग की कीमत का भुगतान :—

भांग की थोक दुकान के अनुज्ञप्तिधारी, निर्धारित डयूटी, अधिभार, परिवहन शुल्क आदि का भुगतान राज्य शासन को किए जाने के पश्चात् क्रय की जाने वाली भांग की कीमत का पृथकतः भुगतान, विक्रेता को अनुज्ञप्तिधारी स्वयं करेगा।

24/ मादक पदार्थों पर अन्य कोई कर :—

वित्तीय वर्ष 2026—27 में लायसेंस अवधि में यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थों पर कोई कर लगाया जावेगा, तो उक्त कर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथकतः देय होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी इस बाबत् किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा, और इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

25/ भांग की थोक दुकान के संचालन की व्यवस्था :—

वित्तीय वर्ष 2026—27 में भांग की थोक दुकान के लिए आवेदन प्रणाली के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं अथवा वर्तमान में भांग की थोक दुकान के व्यवस्थापन संबंधी जारी किए गए निर्देशों के उल्लंघन पर किसी दुकान का लायसेंस निरस्त हो जाता है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी उस दुकान का व्यवस्थापन भांग नियम 2021 के नियम (6) के अनुक्रम में कर सकेंगे परन्तु भांग की ऐसी थोक दुकान का शासकीय संचालन नहीं किया जावेगा।

26/ लायसेंस का निलम्बन और निरस्तीकरण :—

26 (क) भांग की थोक दुकान के लायसेंस अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित या निरस्त किया जा सकता है :—

(1) यदि अनुज्ञप्त परिसर में कोई ऐसी भांग पाई जाती है, जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान नहीं किया गया है।

(2) यदि **अनुज्ञप्त** परिसर में भांग के अलावा किसी अन्य प्रकार की मादक औषधि/पदार्थ अथवा मदिरा पाई जाती है।

(3) यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्देश की कंडिका क्रमांक—6(2) के अंतर्गत शपथ पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें किया गया कथन असत्य पाया जाता है।

(4) यदि अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम या किसी संज्ञेय और गैर—जमानती अपराध से या भारतीय दण्ड संहिता/भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराध में दोषसिद्ध पाया जाता है।

26 (ख) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की **धारा 31 में** दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञापन प्राधिकारी ऊपर उल्लेखित आधार पर अनुज्ञप्ति को तत्काल निलंबित अथवा निरस्त करने की कार्यवाही करेगा, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी को उसकी अनुज्ञप्ति को निलंबित या निरस्त करने तथा उसकी जमा प्रतिभूति धन राशि को राजसात भी किया जा सकेगा।

26 (ग) अनुज्ञप्तिधारी, लायसेंस के निलम्बन या निरस्तीकरण के लिए किसी प्रतिकर या वापसी के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा।

26 (घ) ऊपर लिखित आधार पर लायसेंस निरस्त किए जाने के मामले में अनुज्ञप्तिधारी को कालीसूची में भी डाला जायेगा तथा भविष्य में कोई आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित किया जावेगा।

27/ लायसेंस का अभ्यर्पण :–

भांग की थोक दुकान का कोई अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति अवधि में यदि अपना व्यवसाय समाप्त कर अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करना चाहता है तो, इस आशय की सूचना एक माह पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (यथासंशोधित) की धारा 33 के अनुसार कार्यवाही करेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी आबकारी वर्ष की शेष अवधि के लिए दुकान के पुर्नव्यवस्थापन की कार्यवाही भी आरंभ करेगा।

28/ सत्यनिष्ठा संधि (Intergrity pact) का पालन किया जाना :–

सत्यनिष्ठा संधि (Intergrity pact) की प्रक्रिया में क्रेता एवं विक्रेता द्वारा सत्यनिष्ठा की नीति का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सत्यनिष्ठा संधि का प्रारूप परिशिष्ट–"चार" (Annexure-Four) में संलग्न है।

29/ भांग की थोक दुकान की अनुज्ञप्ति छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (यथासंशोधित) तथा उसके अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 (यथासंशोधित) एवं समय–समय पर राज्य शासन, आबकारी आयुक्त, कलेक्टर, जिले के प्रभारी उपायुक्त आबकारी द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन रहेंगी।

संलग्न – परिशिष्ट–"एक (क),
दो, तीन एवं चार"

आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़

पृष्ठा. क्रमांक/आब./ठेका/2026/1637 नवा रायपुर, दिनांकः–10/03/2026

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर जिला रायपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर,
4. समस्त अपर आयुक्त आबकारी/उपायुक्त आबकारी, एवं सहायक आयुक्त आबकारी, मुख्यालय, रायपुर,
5. संयुक्त संचालक (वित्त) मुख्यालय, रायपुर,
6. उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर,
7. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग रायपुर/बिलासपुर/ बस्तर/दुर्ग एवं सरगुजा, छत्तीसगढ़,
8. उपायुक्त आबकारी, जिला–रायपुर/समस्त सहायक आयुक्त आबकारी/समस्त जिला आबकारी,

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर आयुक्त आबकारी
छत्तीसगढ़,

परिशिष्ठ–"एक (क)"

प्रारूप– एच.डी – 1 (क)

(नियम –05)

आवेदक का स्वसत्यापित पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ

(भांग का थोक कब्जा एवं बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन)

प्रति,

आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :– भांग का थोक कब्जा एवं बिक्री हेतु एच.डी.–1 अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन ।

(1) आवेदक (व्यक्ति / फर्म) का नाम :– ....

(2) पिता / पति का नाम :– ....

(3) लिंग :– ....

(4) जन्म तिथि :– ....आयु......................................

(5) पता (अ) स्थाई निवास का पताः– निवासी......................................ग्राम / नगर..............
तहसील..........................जिला..........................राज्य..............

(ब) पत्र व्यवहार हेतु पताः– निवासी......................................ग्राम / नगर..............
तहसील..........................जिला..........................राज्य..............

(6) (1)फोन नम्बर ....(2) मोबाईल नम्बर ....

(7) ई–मेल आई.डी. ....

(8) समयावधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति :– ....
की आवश्यकता है ।

(9) आवेदन फीस की राशि जमा का विवरण ....

(1) अन्य विवरण :– ....
....

आवेदक के हस्ताक्षर

उपरोक्त विवरण मेरी / हमारी जानकारी में पूर्णतः सत्य / सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो, मेरा / हमारा आवेदन पत्र निरस्त करने योग्य होगा। यदि उपरोक्त विवरण लायसेंस जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरी / हमारी अनुज्ञप्ति निरस्त करने के दायित्वाधीन होगा और मेरे / हमारे द्वारा जमा की गई अनुज्ञप्ति शुल्क एवं प्रतिभूति की धनराशि भी राजसात करने योग्य होगी, जिसकी मुझे / हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त मैं / हम इस तथ्य से भिज्ञ हूँ / हैं कि, असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध भी है तथा मेरे / हमारे विरूद्ध दाण्डिक अपराध दर्ज किया जा सकता है।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्न : –

(1) ....

(2) ....

परिशिष्ठ–"दो"

शपथ पत्र

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री ....आयु ....वर्ष, निवासी .... शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि :–

(1) यह कि, शपथकर्ता ने वर्ष .... के लिए संभाग/जिला .... की भांग/भांग–घोटा की थोक/फुटकर दुकान .... (दुकान का नाम) तहसील .... के लायसेंस हेतु आवेदन पत्र दिया है।

(2) यह कि, शपथकर्ता भारत का नागरिक है।

(3) यह कि, शपथकर्ता की आयु 21 वर्ष से अधिक है।

(4) यह कि, शपथकर्ता का नाम आबकारी विभाग की व्यतिक्रमी/काली सूची में सम्मिलित नहीं है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के प्रावधानों के अधीन आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित नहीं किया गया है एवं किसी भी अन्य राज्यों में तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित नहीं किया गया है तथा शपथकर्ता का नाम अन्य राज्यों की बकाया/व्यतिक्रमी/काली सूची में भी सम्मिलित नहीं है।

(5) यह कि, शपथकर्ता का अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में शपथकर्ता, देश के जिन–जिन राज्यों में लायसेंसी रहा है, उन राज्यों से बकायादार/व्यतिक्रमी/काली सूची में सम्मिलित व्यक्ति नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र लायसेंस जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। यदि इस अवधि में मेरे द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी लायसेंस निरस्त कर सकेगा।

(6) यह कि, शपथकर्ता को दुकान आबंटित होने पर वह उस स्थान पर नियमों के अनुसार दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है या किराये पर लेने की व्यवस्था कर सकता है।

(7) यह कि, शपथपकर्ता का नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उसको छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है।

(8) यह कि, शपथकर्ता का अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह मूल निवासी है एवं **विगत 10 (दस) वर्षों में** वह जहाँ–जहाँ निवास करता रहा है, के पुलिस अधीक्षकों द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र लायसेंस जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि, उसका चरित्र अच्छा है एवं उसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या अपराधिक इतिहास नहीं है। यदि इस अवधि में मेरे द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी लायसेंस निरस्त कर सकेगा।

(9) यह कि, शपथकर्ता के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित होने पर वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि होगी या जो किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित होगा या 21 वर्ष से कम आयु का होगा या महिला होगी।

(10) यह कि, शपथकर्ता के ऊपर कोई सरकारी देय नहीं है।

(11) यह कि, शपथकर्ता आयकर विभाग द्वारा आबंटित स्थायी लेखा संख्या (Permanent Account Number) धारित करता है, जिसका PAN ....है तथा आबंटित PAN के कार्ड की राजपत्रित अधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी से सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत की गयी है।

(12) यह कि, शपथकर्ता का लायसेंसी के रूप में चयन होने पर, उसके द्वारा अपने चयन की सूचना पाने के 2 (दो) कार्य दिवस के भीतर वह वार्षिक लायसेंस फीस की सम्पूर्ण राशि जमा करेगा तथा आबकारी आयुक्त/कलेक्टर के पास लायसेंस की शर्तों और निर्बन्धनों के यथोचित पालन के लिए वार्षिक लायसेंस फीस का 25 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में, जो किसी प्रकार की बकाया न रहने की दशा में 30 जून 2027 के पश्चात् वापसी योग्य होगी, लायसेंस प्राप्ति के पूर्व जमा करने बाध्य रहेगा।

(13) यह कि, शपथकर्ता ने लायसेंस की शर्तों और निर्बन्धनों को पूरी तरह समझ/पढ़ लिया है, और यदि आवेदित दुकान उसे आबंटित हो जाती है, तो वह छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 व उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 तथा लायसेंस की शर्तों और शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले आदेशों/निर्देशों का सम्यक् रूप से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

दिनांक :–

स्थान :–

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
तिथि सहित

सत्यापन

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री ....उल्लेखित शपथकर्ता, एतद् द्वारा, यह सत्यापित करता/करती हूँ कि, इस शपथ पत्र की कंडिका (1) से (13) तक में अभिलिखित कथन मेरे स्वयं के ज्ञान तथा विश्वास से तथा उपलब्ध जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है तथा इस शपथ पत्र में मैंने न तो कोई तथ्य छिपाये हैं और न ही कोई मिथ्या कथन किया है।

आज दिनांक .... को स्थान .... में पढ़कर, समझकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर सत्यापित किया गया।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
तिथि सहित

पब्लिक नोटरी का सत्यापन
परिशिष्ठ–"तीन"

जन्मतिथि की पुष्टि हेतु आवेदन पत्र में निर्धारित कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर अशिक्षित/अर्द्धशिक्षित आवेदकों द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्र का नमूना

(गैर अदालती स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाये)

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री .... वर्तमान में निवासरत् ....एतदद्वारा निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ :–

मेरा जन्म दिनांक .... को .... प्रदेश के जिला..................में स्थित ग्राम/तहसील... में हुआ था। जन्मतिथि एवं स्थान के संबंध में मेरे पास कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है।

मैं किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता/रखती हूँ एवं अशिक्षित व्यक्ति हूँ।

मैं निष्ठापूर्वक शपथ/पुष्टि करता/करती हूँ कि, मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त विवरण सही है एवं मैंने किसी भी तथ्य को न तो छुपाया है और न ही उसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया है।

स्थान : ....

तारीख : ....

आज दिनांक .... वर्ष .... को सत्यापित किया कि, मेरे उपरोक्त शपथ पत्र में दी गई जानकारी मेरे समस्त ज्ञान से सत्य एवं सही है एवं विश्वास कराता/कराती हूँ कि, उसमें कोई भी विवरण छुपाया नहीं गया है। मुझे शपथ पत्र का विवरण पढ़कर सुनाया गया।

शपथकर्ता/वादी

प्रमाणित

प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की सील

टीप :– **शपथपत्र मजिस्ट्रेट/नोटरी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।**

परिशिष्ट–"चार"

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1. This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on .... day of the month .... 20...... between, the Government of Chhattisgarh acting through Shri. .... (Designation of the officer, Department) Government of Chhattisgarh (hereinafter called the "BUYER", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (name of the Stores/Equipment/Work/Service) and M/s .... represented by Shri .... Chief Executive Officer (hereinafter called the "BIDDER/Seller", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors an permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/ has offered.

1.2. WHEREAS the BIDDER is a Private Company/Public Company/ Government Undertaking/ Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER is a Ministry/Department of the Government, performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER and the BIDDER agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

2.1. Enabling the BUYER to obtain the desired Stores/Equipment/Work/Service at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and

22. Enabling BIDDERs to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER will commit to prevent corruption, in ay form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER

The BUYER commits itself to the following:-

3.1. The BUYER undertakes that no official of the BUYER, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2. The BUYER will, during the pre-contract stage, treat BIDDERs alike, and will provide to all BIDDERs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER which could afford an advantage to that particular BIDDER in comparison to the other BIDDERs.

3.3. All the officials of the BUYER will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER to the BUYER with the full and verifiable facts and the same prima fade found to be correct by the BUYER, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed, fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER and such a person shall be debarred from further dealings related to the contract process. In such a case while an enquiry is being conducted by the BUYER the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDERS

The BIDDER commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means an illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract orpost-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

4.1. The BIDDER will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2. The BIDDER further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or dis-favour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3. The BIDDER further confirms and declares to the BUYER that the BIDDER in the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4. The BIDDER, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5. The BIDDER will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6. The BIDDER will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7. The BIDDER shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, orpass on to others, any information provided by the BUYER as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8. The BIDDER commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9. The BIDDER shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1. The BIDDER declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify BIDDER"s exclusion from the tender process.

5.2. If the BIDDER makes incorrect statement on this subject, BIDDER can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1. Every BIDDER while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP as Earnest Money/Security Deposit, with the BUYER through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of.......................................

(ii) A confirmed guarantee by an Indian Nationalised Bank, promising payment of the guaranteed sum to the .... (BUYER) .... on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii)Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP).

6.2. The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER and BUYER, including warranty period, whichever is later.

6.3. In the case of successful BIDDER a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the BUYER to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4. No interest shall be payable by the BUYER to the BIDDER on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1. Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER) shall entitle the BUYER to take all or any one of the following actions, wherever required:-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER. However, the proceedings with the other BIDDER(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER and the BUYER shall not be required to assign any reason therefore.

(iii)To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER.

(iv)To recover all sums already paid by the BUYER, and in case of the Indian BIDDER with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate while in case of a BIDDER from a country other than India with interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER from the BUYER in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest.

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished by the BIDDER, in order to recover the payments, already made by the BUYER, along with interest.

(vi)To cancel all or any other contracts with the BIDDER and the BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such cancellation/rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

(vii) To debar the BIDDER from participating in future bidding processes of the Government of Chhattisgarh for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER(s) to any middlemen or agent or broken with a view to securing the contract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER with the BIDDER, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER or any employee of the BIDDER or any person acting on behalf ofthe BIDDER, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER has financial interest/stake in the

BIDDER"s firm, the same shall be disclosed by the BIDDER at the time of filling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER to rescind the contract without payment of any compensation to the BIDDER.

The term "close relative" for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant"s wife or husband and wholly dependent upon Government servant.

(xi)The BIDDER shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER, and if he does so, the BUYER shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER. The BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such rescission and the BUYERshall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

7.2. The decision of the BUYER to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER shall be final and conclusive on the BIDDER. However, the BIDDER can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1. The BIDDER undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would be refunded by the BIDDER to the BUYER,. if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT MONITORS

9.1. The BUYER will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2. The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3. The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4. Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/Subcontractor(s) with confidentiality.

9.5. As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by the BUYER.

9.6. The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/Secretary in the Department/within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/BIDDER and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations

10. FACILITATION OF INVESTIGATION

In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER and the BIDDER shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination.

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER.

12. OTHER LEGAL ACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1. The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER and the BIDDER/Seller whichever is later. In case BIDDER is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2. If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at..on..........................

BUYER
Name of the Officer
Designation
Department/ PSU

Witness

1)..
2)..

BIDDER
CHIEF EXECUTTIVE OFFICER

Witness

1) ....
2) ....

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक / आब. / ठेका / 2026 / 1638 नवा रायपुर, दिनांकः– 10/03/2026

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः– **वर्ष 2026–27 के लिए भांग की थोक दुकान का व्यवस्थापन के संबंध में दिशा निर्देश।**

––::0::––

राज्य शासन के आदेशानुसार भांग की थोक दुकान के व्यवस्थापन के संबंध में छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 का प्रकाशन राजपत्र दिनांक 31.12.2021 एवं छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 10–14 / 2023 / वा.क.(आब.) / पांच(58) नवा रायपुर दिनांक 11.06.2024 द्वारा जारी संशोधन अनुसार, आगामी **वर्ष 2026–27 के लिए भांग की थोक दुकान का व्यवस्थापन आवेदन प्रणाली के अंतर्गत किया जावेगा।** इस संबंध में विस्तृत प्रावधान छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 में किया गया है। **व्यवस्थापन के** संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1/ <u>आवेदन प्रणाली अंतर्गत लायसेंसो का आबंटन</u> :–

छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 के प्रावधान अनुसार भांग की थोक दुकान का लायसेंस आवेदन प्रणाली अंतर्गत आबंटित किया जावेगा, भांग की थोक दुकान हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी का चयन किया जावेगा। भांग की थोक दुकान के आबंटन हेतु आबकारी आयुक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी होंगे।

2/ <u>व्यक्ति जो भांग की थोक दुकान के लायसेंस लेने से वर्जित होंगे</u> :–

(1) भांग की थोक दुकान के लायसेंस ऐसे व्यक्ति ले सकेंगे, जो आबकारी लायसेंस प्राप्त करने के लिए योग्यता रखते हों, निम्नांकित व्यक्ति भांग की थोक दुकान के लायसेंस प्राप्त करने के लिए "अयोग्य" रहेंगे :–

- (क) कोई भी व्यक्ति, जो भारत का नागरिक न हो।
- (ख) कोई भी व्यक्ति, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो।
- (ग) कोई भी व्यक्ति, जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी राशि अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार हो। वित्तीय वर्ष 2025–26 का अनुज्ञप्तिधारी जिसके द्वारा उसके ठेके की सम्पूर्ण समयावधि की देय लायसेंस फीस न पटाई गई हो।
- (घ) कोई भी व्यक्ति, जो पहले कभी लायसेंसी रहा हो और लायसेंसी की हैसियत से उसका आचरण अनुज्ञापन प्राधिकारी के मत में संतोषजनक न रहा हो।
- (ड.) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की काली सूची में हो।
- (च) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की व्यतिक्रमी सूची में हो।
- (छ) कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में अनुज्ञापन प्राधिकारी को यह विश्वास हो कि वह बुरे आचरण वाला है।
- (ज) कोई भी व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ के किसी पड़ोसी राज्य में समीप के क्षेत्र में उसी प्रकार का ठेका लिये हो अथवा ऐसे ठेकेदार का अभिकर्त्ता हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915, पूर्व में प्रभावशील डेन्जरस ड्रग्स एक्ट 1930, पूर्व में प्रभावशील छत्तीसगढ़ प्रोहिबिशन एक्ट 1936, पूर्व में प्रभावशील अफीम अधिनियम 1878, या नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड सायकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट 1985, तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति की शर्तों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो अथवा ऐसे अपराधों के लिए किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया हो, जो उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी के विचार में अनुज्ञप्तियों का अवांछनीय धारक बना देता है।

<u>टिप्पणी</u>:— **बकाया राशि की पूर्ण अदायगी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त कंडिका 2 (1) (ग) में उल्लिखित शर्त अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा शिथिल की जा सकेगी। इसी प्रकार काली सूची में से नाम विलोपित किये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त कंडिका 2 (1) (ड.) की शर्त अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा शिथिल की जा सकेगी।**

3/ <u>भांग की थोक दुकान के लायसेंस लेने हेतु जमा किये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज</u> :—

कोई भी आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कंपनी), जो भांग की थोक दुकान के लायसेंस लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है, उसे निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करते समय निम्नानुसार दस्तावेजों की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा :—

(1) <u>आयु के प्रमाण के लिए</u> — म्यूनिसिपल अथॉरिटी या रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु जिला कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या अंतिम स्कूल से जारी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र या अशिक्षित/अर्द्धशिक्षित आवेदक द्वारा जन्म तिथि के लिए मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष संलग्न प्रारूप में दिया गया शपथ पत्र या पेनकार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, **इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि** संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) <u>स्थायी निवास के प्रमाण के लिए</u> — मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आयकर निर्धारण आदेश, ड्राईविंग लायसेंस, संबंधित राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जल, टेलीफोन, बिजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेटमेंट, **इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि** संलग्न करना अनिवार्य है।

(3) आवेदक को आयकर विभाग द्वारा आबंटित पेन कार्ड की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि जमा करना अनिवार्य है।

(4) आवेदक को निर्धारित आवेदन शुल्क के लिए नगद चालान अथवा बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के पे—ऑर्डर की मूलप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) भांग की थोक दुकान के लायसेंस लेने हेतु लायसेंस अवधि के लिए कोई भी आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कंपनी) एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(6) कोई भी आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कंपनी), थोक एवं फुटकर विक्रय की अनुज्ञप्ति साथ—साथ धारित नही कर सकेगा। भांग की थोक दुकान के लिए लॉटरी के माध्यम से किसी आवेदक का चयन प्रथम चयनित आवेदक के रूप में होता है और बाद में यह पाया जाता है कि, चयनित आवेदक राज्य के किसी जिले में भांग/भांग—घोटा की फुटकर दुकान का अनुज्ञप्तिधारी है, तो उसका चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा एवं लॉटरी के माध्यम से चयनित द्वितीय आवेदक को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु **दो कार्य दिवस** का अवसर दिया जावेगा। यदि द्वितीय चयनित आवेदक भी निर्धारित समयावधि में लायसेंस प्राप्त करने हेतु असमर्थ रहता है, तो तृतीय चयनित आवेदक को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु दो कार्य दिवस का अवसर दिया जावेगा। यदि तृतीय चयनित आवेदक

भी निर्धारित समयावधि में लायसेंस प्राप्त करने हेतु असमर्थ रहता है, तो कंडिका क्रमांक–10 के अनुसार दुकान के व्यवस्थापन की प्रक्रिया अपनाई जावेगी। उपरोक्तानुसार लायसेंस प्राप्त करने में असफल रहे आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कंपनी) को व्यतिक्रमी सूची में डाल दिया जाएगा तथा भविष्य के लिए आवेदन करने से अवरूद्ध किया जावेगा।

(7) प्रदेश में भांग की थोक दुकान का लायसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रणाली के अन्तर्गत व्यवस्थापन के तहत चयनित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में वर्णित जानकारियों के समर्थन में मूल अभिलेखों के साथ चयन के **दो कार्य दिवस** के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

(8) किसी भी आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कंपनी) को भांग की थोक एवं भांग/भांग–घोटा की फुटकर दुकान में से केवल थोक अथवा फुटकर दुकानों का लायसेंस जारी किया जा सकेगा अर्थात कोई भी थोक एवं फुटकर दोनों का लायसेंस एक साथ धारण नहीं कर सकेगा।

(9) आवेदक यदि फर्म/कंपनी हो तो संबंधित फर्म/कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरी की व्यक्तिगत जानकारी फर्म/कंपनी की अन्य सुसंगत जानकारियों के साथ इस प्रकार प्रस्तुत करेगा जैसा कि व्यक्तिगत आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है।

4/ भांग की थोक दुकान के लायसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क :–

छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 में भांग की थोक दुकान के लायसेंस प्राप्त करने हेतु यथा संशोधित छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 10–14/2023/वा.क.(आब.)/पांच(58) नवा रायपुर दिनांक 11.06.2024 द्वारा जारी भांग की थोक एवं भांग/भांग–घोटा की फुटकर दुकानों के लायसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क रू. 1000/– (एक हजार मात्र) निर्धारित है। तदानुसार आवेदन शुल्क की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के पे–ऑर्डर के रूप में अथवा नगद राशि विभाग के **"मुख्य शीर्ष 0039–राज्य उत्पाद शुल्क, 800–अन्य प्राप्तियाँ, 0761–विविध प्राप्तियाँ (भांग की थोक एवं भांग/भांग–घोटा की फुटकर दुकानों हेतु आवेदन शुल्क)"** के मद में चालान द्वारा जमा कराई जाकर, बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के पे–ऑर्डर अथवा चालान की मूलप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क की उक्त राशि न तो लायसेंस फीस में समायोजन योग्य होगी और न ही यह राशि अनुज्ञप्ति स्वीकृत न होने पर वापसी योग्य होगी।

5/ भांग की थोक दुकान के आबंटन के लिए आवेदन पत्र :–

(1) आवेदनकर्ता वर्ष 2026–27 में भांग की थोक दुकान के आबंटन के लिए आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 में वर्णित एवं परिशिष्ट–"एक (क)" में निर्धारित प्रारूप अनुसार जमा करेगा।

(2) अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु जमा किए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाला निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र संलग्न परिशिष्ट–"दो" अनुसार आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) अशिक्षित/अर्द्धशिक्षित आवेदक, अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु जमा किए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाला अशिक्षित/अर्द्धशिक्षित आवेदक हेतु जन्म तिथि के लिए मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष दिए जाने वाले शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न परिशिष्ट–"तीन" अनुसार आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

(4) भांग की थोक दुकान के लिए आवेदन प्रक्रिया के तहत अपरिहार्य स्थिति में निर्धारित तिथि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार आबकारी आयुक्त के पास सुरक्षित रहेगा।

6/ भांग की थोक दुकान के अनुज्ञप्तिधारी के चयन की प्रक्रिया :–

(1) **वर्ष 2026–27 में भांग की थोक दुकान के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा "लॉटरी" निकालकर दुकानों के अनुज्ञापी (लायसेंसी) का चयन किया जावेगा।** यह कार्यवाही निम्नांकित समिति के द्वारा की जावेगी :–

(क)	आबकारी आयुक्त	– अध्यक्ष
(ख)	आबकारी आयुक्त द्वारा नामांकित अपर आयुक्त आबकारी	– सदस्य, सचिव

(2) सर्वप्रथम भांग की थोक दुकान के लिए केवल एक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में परीक्षण उपरांत उपयुक्त पाए जाने पर आवेदक को संबंधित दुकान/दुकानों के लिए अनुज्ञापी (लायसेंसी) के रूप में चयनित घोषित किया जावेगा।

(3) भांग की थोक दुकान के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में कंडिका (6.1) द्वारा लॉटरी निकालकर दुकानों के अनुज्ञापी (लायसेंसी) का चयन किया जायेगा। इस प्रणाली में तीन आवेदकों का चयन क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित आवेदक के रूप में किया जावेगा।

(4) यदि प्रथम चयनित आवेदक द्वारा अपने चयन के **दो कार्य दिवस** के भीतर कंडिका–11 के अनुसार वार्षिक लायसेंस फीस जमा नहीं किया जाता है अथवा अन्य किसी कारण से उसका चयन निरस्त हो जाता है, तो चयन सूची के दूसरे क्रम पर आए आवेदक को संबंधित भांग की थोक दुकान का लायसेंस प्राप्त करने का अवसर दिया जावेगा।

(5) यदि दूसरे क्रम पर चयनित आवेदक के द्वारा भी अपने चयन के **दो कार्य दिवस** के भीतर कंडिका–11 के अनुसार वार्षिक लायसेंस फीस जमा नहीं किया जाता है अथवा अन्य किसी कारण से उसका चयन निरस्त हो जाता है, तो चयन सूची के तीसरे क्रम पर आए आवेदक को संबंधित भांग की थोक दुकान का लायसेंस प्राप्त करने का अवसर दिया जावेगा। यदि तृतीय चयनित आवेदक द्वारा अपने चयन के **दो कार्य दिवस** के भीतर कंडिका–11 के अनुसार वार्षिक लायसेंस फीस जमा नहीं किया जाता है अथवा अन्य किसी कारण से उसका चयन निरस्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में दुकान का व्यवस्थापन की कार्यवाही भांग नियम, 2021 अनुसार की जावेगी।

(6) भांग की थोक दुकान के लिए लॉटरी निकालने की नियत तिथि के पूर्व समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों एवं लॉटरी में शामिल किए जाने वाले उपयुक्त आवेदन पत्रों की सूची अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय के सूचना पटल पर सभी आवेदकों के अवलोकन के लिए प्रदर्शित की जावेगी। निरस्त किए गए आवेदनों की सूची, निरस्त करने के कारण को दर्शाते हुए तैयार की जा कर सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी।

(7) भांग की थोक दुकान की लॉटरी निकालने के दिवस को लॉटरी द्वारा चयन प्रक्रिया के स्थल पर केवल आवेदकों को प्रवेश दिया जावेगा।

(8) कोई भी आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कंपनी) थोक एवं फुटकर विक्रय की अनुज्ञप्ति साथ–साथ धारित नहीं कर सकेगा।

7/ आवेदन पत्र की प्रविष्टि तथा लॉटरी प्रक्रिया :-

लायसेंस अवधि के लिए भांग की थोक दुकान के आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रविष्टि तथा लॉटरी निकालने के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित् किया जावे :-

(1) **लायसेंस अवधि के लिए** भांग की थोक दुकान हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का सूक्ष्मता पूर्वक परीक्षण किया जाये तथा जो आवेदन पत्र परीक्षण उपरांत निरस्त किये जाते हैं, उनके पर्याप्त कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(2) परीक्षण उपरांत उपयुक्त पाए गए आवेदन पत्रों की सूची तैयार कर सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावे। लॉटरी निकालने के पूर्व **किसी तरह की त्रुटि न हो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी थोक अनुज्ञप्ति हेतु सदस्य सचिव की होगी।**

(3) भांग की थोक दुकान का ड्रा निकालने के पश्चात् पंजी में समिति के अध्यक्ष एवं पदेन सचिव द्वारा हस्ताक्षर लिया जावे। यदि संबंधित दुकान के चयनित आवेदक लॉटरी स्थल पर उपस्थित हों तो, उनके हस्ताक्षर लिए जावें। इस बाबत् लॉटरी प्रक्रिया के पूर्व ही पंजी तैयार कर लिया जावे।

(4) भांग की किसी थोक दुकान के लायसेंस प्राप्त करने हेतु एक से अधिक उपयुक्त पाए गये आवेदन पत्रों में से निर्देश की कंडिका क्रमांक-6 (1) अनुसार उल्लेखित समिति के द्वारा **"मेन्युअल"** तरीके से लॉटरी के माध्यम से अनुज्ञापी का चयन किया जावेगा।

8/ भांग की ड्यूटी दरें :-

(क) (1) **लायसेंस अवधि के लिए** भांग की ड्यूटी दरों का निर्धारण छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 में वर्णित है। तदानुसार ड्यूटी राशि जमा कराई जावे।

(2) उपरोक्तानुसार जमा की जाने वाली ड्यूटी राशि **''मुख्य शीर्ष 0039-राज्य उत्पाद शुल्क, 800-अन्य प्राप्तियाँ, 0761-विविध प्राप्तियाँ (भांग की थोक एवं भांग/भांग-घोटा की फुटकर दुकानों हेतु ड्यूटी राशि)''** के मद में चालान द्वारा ऑन-लाईन जमा कराई जाकर, मूलप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ख) **आबकारी कर योग्य वस्तुओं पर शुल्क (ड्यूटी) पर 10% अधिभार :-**

(1) आबकारी शुल्क (ड्यूटी) योग्य वस्तुओं के विहित शुल्क (ड्यूटी) पर 10% अधिभार देय होगा, जिसका अंतरण ग्रामीण तथा नगरीय निकायों को जनसंख्या के अनुपात में दिया जावेगा।

आबकारी शुल्क के साथ ही अधिभार की राशि जमा कराई जावेगी। उक्त प्रावधान समस्त सुसंगत अनुज्ञप्तियों पर समान रूप से लागू होगा।

(2) उपरोक्तानुसार जमा की जाने वाली अधिभार की राशि **''मुख्य शीर्ष 0039-राज्य उत्पाद शुल्क, 800-अन्य प्राप्तियाँ, 0761-विविध प्राप्तियाँ (भांग की थोक एवं भांग/भांग-घोटा की फुटकर दुकानों हेतु ड्यूटी पर अधिभार की राशि)''** के मद में चालान द्वारा ऑन-लाईन जमा कराई जाकर, मूलप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9/ भांग की थोक दुकान के व्यवस्थापन की कार्यवाही :-

भांग की थोक दुकान के प्रथम बार व्यवस्थापन के संबंध में पृथक से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जा रहा है, व्यवस्थापन न होने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी के चयन के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावेगी :-

(1) निर्देश के बिन्दु क्रमांक-06 में वर्णित भांग की थोक दुकान के व्यवस्थापन की कार्यवाही पहली बार में निर्धारित कार्यक्रम एवं प्रक्रिया अनुसार किया जावेगा, व्यवस्थापन न होने की स्थिति में पुनः आवेदन जमा होने पर *"प्रथम आओ प्रथम पाओ"* के नीति के तहत अनुज्ञप्ति दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

10/ भांग का प्रदाय :-

(1) छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 में समस्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए भांग के प्रदाय व्यवस्था के प्रावधान किये गये हैं। तदानुसार भांग प्रदाय की कार्यवाही किया जावे।

(2) वर्ष 2025-26 में राज्य शासन के अधीन संचालित भांग के थोक गोदामों में संग्रहित भांग एवं फुटकर अनुज्ञप्तिधारियों के पास वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर शेष रहे भांग/भांग-घोटा की स्कंध का निराकरण छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (यथासंशोधित) के तहत निर्मित सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक-25 के तहत किया जावेगा।

(3) वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर आबकारी आयुक्त द्वारा अधिकृत थोक लायसेंसी के गोदामों में संग्रहित भांग स्कंध का निर्धारित ड्यूटी राशि, परिवहन फीस एवं भांग की कीमत का भुगतान कर आगामी वर्ष 2026-27 हेतु थोक लायसेंसी के द्वारा संपूर्ण बचत स्कंध का क्रय किया जाना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात भांग के थोक अनुज्ञप्तिधारी को उसके विकल्प पर अन्यत्र स्थानों से भांग क्रय परिवहन करने अनुज्ञात किया जावेगा।

(4) भांग के थोक विक्रय हेतु केवल एक थोक विक्रय लायसेंस स्वीकृत किया जावेगा। जहां से राज्य के समस्त फुटकर अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप भांग क्रय किया जावेगा। भांग की थोक विक्रय अनुज्ञप्ति अस्तित्व में न होने अथवा भांग के फुटकर विक्रय अनुज्ञप्तिधारियों को मांग अनुरूप भांग उपलब्ध न करा पाने आदि की स्थिति में संबंधित फुटकर विक्रय अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा भांग क्रय करने हेतु उस प्रक्रिया का पालन किया जावेगा, जो इस हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा विहित किया जावेगा।

11/ भांग की थोक दुकान की वार्षिक लायसेंस फीस :-

(1) छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 10-14/2023/वा.क.(आब.)/पांच(58) नवा रायपुर दिनांक 11.06.2024 द्वारा जारी संशोधन अनुसार भांग की थोक दुकान के लायसेंस प्राप्त करने हेतु वार्षिक लायसेंस फीस रू. 25,00,000/- (पच्चीस लाख रूपये मात्र) निर्धारित है।

(2) उपरोक्तानुसार जमा की जाने वाली धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के पे-ऑर्डर के रूप में अथवा नगद राशि विभाग के **"मुख्य शीर्ष 0039-राज्य उत्पाद शुल्क, 800-अन्य प्राप्तियाँ, 0761-विविध प्राप्तियाँ (भांग/भांग-घोटा की थोक/फुटकर दुकानों हेतु लायसेंस फीस)"** के मद में चालान द्वारा ऑन-लाईन जमा कराई जाकर, बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के पे-ऑर्डर अथवा चालान की मूलप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12/ भांग की थोक दुकान की प्रतिभूति राशि :-

(1) छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 में भांग की थोक दुकान की अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक अनुपालन के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क के 25 प्रतिशत की समतुल्य राशि की नगद चालान, प्रतिभूति या बैंक प्रतिभूति निक्षेप (गारंटी) जमा कराया जाना प्रावधानित है। तदानुसार प्रतिभूति राशि जमा होने के पश्चात् ही अनुज्ञप्ति जारी किया जावे।

(2) प्रतिभूति राशि या बैंक प्रतिभूति निक्षेप के अलावा राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के पे-ऑर्डर के रूप में अथवा नगद राशि विभाग के **"मुख्य शीर्ष 0039-राज्य उत्पाद शुल्क, 800-अन्य प्राप्तियाँ, 0761-विविध प्राप्तियाँ (भांग/भांग-घोटा की थोक/फुटकर दुकानों हेतु प्रतिभूति राशि)"** के मद में चालान द्वारा ऑन-लाईन जमा कराई जा सकती है।

(3) प्रतिभूति राशि **30 जून 2027 तक** की अवधि के लिए जमा कराई जावे जो कि लायसेंस अवधि में किसी भी प्रकार के बकाया आदि में समायोजन योग्य एवं कोई भी बकाया न रहने की स्थिति में 30 जून 2027 के पश्चात् वापसी योग्य होगा।

13/ भांग का आयात शुल्क :—

(1) छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 में प्रदेश में किए जाने वाले भांग के आयात पर रू. 100/— प्रति कि.ग्रा. की दर से आयात शुल्क निर्धारित है। तदानुसार भांग के आयात पर आयात शुल्क जमा कराई जावे।

(2) उपरोक्तानुसार जमा की जाने वाली राशि विभाग के **"मुख्य शीर्ष 0039—राज्य उत्पाद शुल्क, 800—अन्य प्राप्तियाँ, 0761—विविध प्राप्तियाँ (भांग का आयात शुल्क)"** के मद में चालान द्वारा ऑन—लाईन जमा कराई जाकर चालान की मूलप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14/ भांग का निर्यात शुल्क :—

(1) छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 में प्रदेश से किए जाने वाले भांग के निर्यात पर रू. 50/— प्रति कि.ग्रा. की दर से निर्यात शुल्क निर्धारित है। तदानुसार भांग के निर्यात पर निर्यात शुल्क जमा कराई जावे।

(2) उपरोक्तानुसार जमा की जाने वाली राशि विभाग के **"मुख्य शीर्ष 0039—राज्य उत्पाद शुल्क, 800—अन्य प्राप्तियाँ, 0761—विविध प्राप्तियाँ (भांग का निर्यात शुल्क)"** के मद में चालान द्वारा ऑन—लाईन जमा कराई जाकर चालान की मूलप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

15/ भांग की थोक दुकान के लिए लायसेंस अवधि :—

(1) वर्ष 2026—27 के लिए स्वीकृत की जाने वाली भांग की थोक दुकान की लायसेंस अवधि वित्तीय वर्ष (आबकारी वर्ष) 2026—27 हेतु दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 31.03.2027 तक रहेगी।

(2) छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 के अंतर्गत भांग की थोक दुकान के लिए स्वीकृत की जाने वाली अनुज्ञप्तियां आबकारी वर्ष अर्थात दिनांक 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के लिए प्रदान किये जाने का प्रावधान है। यदि कोई अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियां आबकारी वर्ष के मध्य में प्रदाय की जाती है, तो उसकी अवधि 31 मार्च को समाप्त होगी।

16/ भांग की बिक्री का समय :—

वर्ष 2026—27 के लिए भांग के थोक विक्रय दुकान के खुलने का समय प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

17/ भांग दुकानों के साईन बोर्ड :—

भांग की थोक दुकान के अनुज्ञप्तिधारी को दुकान के प्रवेश द्वार पर एक सहज दृश्य साईनबोर्ड, जिसका आकार **3 फुट x 2 फुट** का होगा, प्रदर्शित करेगा, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी का नाम, दुकान का प्रकार एवं नाम, दुकान खुलने एवं बंद होने का समय, दुकान की अवस्थिति तथा लायसेंस की अवधि अंकित होगी। साईनबोर्ड में लिखावट के लिए **साईनबोर्ड की शीट लाल रंग** एवं **अक्षर सफेद रंग** से अंकित किए जावेंगे।

18/ नशा बंदी की नीति तथा प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप भांग दुकाने बंद करना :–

राज्य में नशा बंदी की नीति तथा प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप या किसी अन्य कारण से भांग की किसी दुकान को पूर्ण अथवा आंशिक अवधि के लिए बंद करने का निर्णय लिया जाता है, तो वैसा करने का अधिकार आबकारी आयुक्त का होगा। इस कारण से अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति शासन द्वारा देय नहीं होगी।

इसी प्रकार यदि भांग की थोक दुकान के व्यवस्थापन की अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी दैवीय विपत्ति या प्राकृतिक प्रकोप अथवा सामाजिक उपद्रवों, आंदोलनों, कानून व्यवस्था आदि संबंधी समस्याओं के फलस्वरूप किसी प्रकार की कोई क्षति होती है, तो अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति शासन द्वारा देय नहीं होगी।

19/ भांग की थोक दुकान के लिए अभिकर्ताओं की नियुक्ति :–

(1) भांग की थोक दुकान के संचालन के लिए लायसेंसी द्वारा अभिकर्ताओं/नौकरों को रखा जाता है, तो ऐसे अभिकर्ता/नौकर का नौकरनामा स्वीकृति हेतु आवेदन रायपुर जिले के उपायुक्त आबकारी कार्यालय में लायसेंस अवधि प्रारम्भ होने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा संबंधित जिले में विधिवत् कार्यवाही एवं आवश्यक जाँचोपरान्त **फोटोयुक्त नौकरनामा लायसेंस जारी होने के 15 दिवस के भीतर मंजूर किये जायेंगे।**

(2) आवेदक के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित होने पर वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि होगी या जो किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित होगा या 21 वर्ष से कम आयु का होगा या महिला होगी।

20/ निरीक्षण पुस्तिका :–

छत्तीसगढ़ भांग नियम 2021 में भांग की थोक दुकान में निरीक्षण पुस्तिका रखने के प्रावधान निहित हैं, जिसके अनुसार भांग की थोक दुकान का लायसेंसी दुकान में एक निरीक्षण पुस्तिका रखेगा और दुकान के निरीक्षण के समय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

21/ लेखा पंजी :–

छत्तीसगढ़ भांग नियम 2021 में भांग की थोक दुकान में निर्धारित प्रारूप में लेखा पंजी संधारित किए जाने के प्रावधान निहित हैं, जिसके अनुसार भांग की थोक दुकान का लायसेंसी दुकान में एक लेखा पंजी संधारित कर भांग के स्कंध का सम्पूर्ण ब्योरा अद्यतन रखेगा और दुकान के निरीक्षण के समय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

22/ भांग की कीमत का भुगतान :–

भांग की थोक दुकान के अनुज्ञप्तिधारी, निर्धारित ड्यूटी, अधिभार, परिवहन शुल्क आदि का भुगतान राज्य शासन को किए जाने के पश्चात् क्रय की जाने वाली भांग की कीमत का पृथकतः भुगतान, विक्रेता को अनुज्ञप्तिधारी स्वयं करेगा।

23/ मादक पदार्थों पर अन्य कोई कर :–

वित्तीय वर्ष 2026–27 में लायसेंस अवधि में यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थों पर कोई कर लगाया जावेगा, तो उक्त कर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथकतः देय होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी इस बाबत् किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा, और इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

24/ भांग की थोक दुकान के संचालन की व्यवस्था :–

वित्तीय वर्ष 2026–27 में भांग की थोक दुकान के लिए आवेदन प्रणाली के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं अथवा वर्तमान में भांग की थोक दुकान के व्यवस्थापन संबंधी जारी किए गए निर्देशों के उल्लंघन पर किसी दुकान का लायसेंस निरस्त हो जाता है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी उस दुकान का व्यवस्थापन भांग नियम 2021 के नियम (6) के अनुक्रम में कर सकेंगे परन्तु भांग की ऐसी थोक दुकान का शासकीय संचालन नहीं किया जावेगा।

25/ लायसेंस का निलम्बन और निरस्तीकरण :–

25 (क) भांग की थोक दुकान के लायसेंस अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित या निरस्त किया जा सकता है :–

(1) यदि अनुज्ञप्त परिसर में कोई ऐसी भांग पाई जाती है, जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान नहीं किया गया है।

(2) यदि **अनुज्ञप्त** परिसर में भांग के अलावा किसी अन्य प्रकार की मादक औषधि/पदार्थ अथवा मदिरा पाई जाती है।

(3) यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्देश की कंडिका क्रमांक–6(2) के अंतर्गत शपथ पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें किया गया कथन असत्य पाया जाता है।

(4) यदि अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम या किसी संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध से या भारतीय दण्ड संहिता/भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराध में दोषसिद्ध पाया जाता है।

25 (ख) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की **धारा 31 में** दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञापन प्राधिकारी ऊपर उल्लेखित आधार पर अनुज्ञप्ति को तत्काल निलंबित अथवा निरस्त करने की कार्यवाही करेगा, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी को उसकी अनुज्ञप्ति को निलंबित या निरस्त करने तथा उसकी जमा प्रतिभूति धन राशि को राजसात भी किया जा सकेगा।

25 (ग) अनुज्ञप्तिधारी, लायसेंस के निलम्बन या निरस्तीकरण के लिए किसी प्रतिकर या वापसी के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा।

25 (घ) ऊपर लिखित आधार पर लायसेंस निरस्त किए जाने के मामले में अनुज्ञप्तिधारी को कालीसूची में भी डाला जायेगा तथा भविष्य में कोई आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित किया जावेगा।

26/ लायसेंस का अभ्यर्पण :–

भांग की थोक दुकान का कोई अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति अवधि में यदि अपना व्यवसाय समाप्त कर अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करना चाहता है तो, इस आशय की सूचना एक माह पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (यथासंशोधित) की धारा 33 के अनुसार कार्यवाही करेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी आबकारी वर्ष की शेष अवधि के लिए दुकान के पुर्नव्यवस्थापन की कार्यवाही भी आरंभ करेगा।

27/ सत्यनिष्ठा संधि (Intergrity pact) का पालन किया जाना :–

सत्यनिष्ठा संधि (Intergrity pact) की प्रक्रिया में क्रेता एवं विक्रेता द्वारा सत्यनिष्ठा की नीति का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सत्यनिष्ठा संधि का प्रारूप **परिशिष्ट–"चार"** (Annexure-Four) में संलग्न है।

28/ भांग की थोक दुकान की अनुज्ञप्ति छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (यथासंशोधित) तथा उसके अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 (यथासंशोधित) एवं समय–समय पर राज्य शासन, आबकारी आयुक्त, कलेक्टर, जिले के प्रभारी उपायुक्त आबकारी द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन रहेंगी।

संलग्न – परिशिष्ट–"एक (क),
दो, तीन एवं चार"

R-[illegible] 10/3/26

आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़

पृष्ठा. क्रमांक/आब./ठेका/2026/1639 नवा रायपुर, दिनांकः– 10/03/26

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर जिला रायपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर,
4. समस्त अपर आयुक्त आबकारी/उपायुक्त आबकारी, एवं सहायक आयुक्त आबकारी, मुख्यालय, रायपुर,
5. संयुक्त संचालक (वित्त) मुख्यालय, रायपुर,
6. उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर,
7. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग रायपुर/बिलासपुर/ बस्तर/दुर्ग एवं सरगुजा, छत्तीसगढ़,
8. उपायुक्त आबकारी, जिला–रायपुर/समस्त सहायक आयुक्त आबकारी/समस्त जिला आबकारी,

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर आयुक्त आबकारी
छत्तीसगढ़,

परिशिष्ठ—"एक (क)"
प्रारूप— एच.डी – 1 (क)
(नियम –05)

आवेदक का स्वसत्यापित पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ

(भांग का थोक कब्जा एवं बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन)

प्रति,

आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :— भांग का थोक कब्जा एवं बिकी हेतु एच.डी.–1 अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन ।

(1) आवेदक (व्यक्ति / फर्म) का नाम :— ....

(2) पिता / पति का नाम :— ....

(3) लिंग :— ....

(4) जन्म तिथि :— ....आयु..

(5) पता (अ) स्थाई निवास का पताः— निवासी..ग्राम / नगर..................
तहसील..........................जिला..........................राज्य..................

(ब) पत्र व्यवहार हेतु पताः— निवासी..ग्राम / नगर..................
तहसील..........................जिला..........................राज्य..................

(6) (1)फोन नम्बर ....(2) मोबाईल नम्बर ....

(7) ई–मेल आई.डी. ....

(8) समयावधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति :— ....
की आवश्यकता है ।

(9) आवेदन फीस की राशि जमा का विवरण ....

(1) अन्य विवरण :— ....
....

आवेदक के हस्ताक्षर

उपरोक्त विवरण मेरी / हमारी जानकारी में पूर्णतः सत्य / सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो, मेरा / हमारा आवेदन पत्र निरस्त करने योग्य होगा। यदि उपरोक्त विवरण लायसेंस जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरी / हमारी अनुज्ञप्ति निरस्त करने के दायित्वाधीन होगा और मेरे / हमारे द्वारा जमा की गई अनुज्ञप्ति शुल्क एवं प्रतिभूति की धनराशि भी राजसात करने योग्य होगी, जिसकी मुझे / हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त मैं / हम इस तथ्य से भिज्ञ हूँ / हैं कि, असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध भी है तथा मेरे / हमारे विरूद्ध दाण्डिक अपराध दर्ज किया जा सकता है।

स्थान :
दिनांक :
संलग्न : –
(1) ....
(2) ....

आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ठ–"दो"

शपथ पत्र

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री ....आयु ....वर्ष, निवासी .... शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि :–

(1) यह कि, शपथकर्ता ने वर्ष .... के लिए संभाग/जिला .... की भांग/भांग–घोटा की थोक/फुटकर दुकान .... (दुकान का नाम) तहसील .... के लायसेंस हेतु आवेदन पत्र दिया है।

(2) यह कि, शपथकर्ता भारत का नागरिक है।

(3) यह कि, शपथकर्ता की आयु 21 वर्ष से अधिक है।

(4) यह कि, शपथकर्ता का नाम आबकारी विभाग की व्यतिक्रमी/काली सूची में सम्मिलित नहीं है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के प्रावधानों के अधीन आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित नहीं किया गया है एवं किसी भी अन्य राज्यों में तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित नहीं किया गया है तथा शपथकर्ता का नाम अन्य राज्यों की बकाया/व्यतिक्रमी/काली सूची में भी सम्मिलित नहीं है।

(5) यह कि, शपथकर्ता का अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में शपथकर्ता, देश के जिन–जिन राज्यों में लायसेंसी रहा है, उन राज्यों से बकायादार/व्यतिक्रमी/काली सूची में सम्मिलित व्यक्ति नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र लायसेंस जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। यदि इस अवधि में मेरे द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी लायसेंस निरस्त कर सकेगा।

(6) यह कि, शपथकर्ता को दुकान आबंटित होने पर वह उस स्थान पर नियमों के अनुसार दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है या किराये पर लेने की व्यवस्था कर सकता है।

(7) यह कि, शपथपकर्ता का नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उसको छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है।

(8) यह कि, शपथकर्ता का अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह मूल निवासी है एवं **विगत 10 (दस) वर्षों में** वह जहाँ–जहाँ निवास करता रहा है, के पुलिस अधीक्षकों द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र लायसेंस जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि, उसका चरित्र अच्छा है एवं उसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या अपराधिक इतिहास नहीं है। यदि इस अवधि में मेरे द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी लायसेंस निरस्त कर सकेगा।

(9) यह कि, शपथकर्ता के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित होने पर वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि होगी या जो किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित होगा या 21 वर्ष से कम आयु का होगा या महिला होगी।

(10) यह कि, शपथकर्ता के ऊपर कोई सरकारी देय नहीं है।

(11) यह कि, शपथकर्ता आयकर विभाग द्वारा आबंटित स्थायी लेखा संख्या (Permanent Account Number) धारित करता है, जिसका PAN ....है तथा आबंटित PAN के कार्ड की राजपत्रित अधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी से सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत की गयी है।

(12) यह कि, शपथकर्ता का लायसेंसी के रूप में चयन होने पर, उसके द्वारा अपने चयन की सूचना पाने के 2 (दो) कार्य दिवस के भीतर वह वार्षिक लायसेंस फीस की सम्पूर्ण राशि जमा करेगा तथा आबकारी आयुक्त/कलेक्टर के पास लायसेंस की शर्तों और निर्बन्धनों के यथोचित पालन के लिए वार्षिक लायसेंस फीस का 25 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में, जो किसी प्रकार की बकाया न रहने की दशा में 30 जून 2027 के पश्चात् वापसी योग्य होगी, लायसेंस प्राप्ति के पूर्व जमा करने बाध्य रहेगा।

(13) यह कि, शपथकर्ता ने लायसेंस की शर्तों और निर्बन्धनों को पूरी तरह समझ/पढ़ लिया है, और यदि आवेदित दुकान उसे आबंटित हो जाती है, तो वह छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 व उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 तथा लायसेंस की शर्तों और शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले आदेशों/निर्देशों का सम्यक् रूप से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

दिनांक :–

स्थान :–

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
तिथि सहित

सत्यापन

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री ....उल्लेखित शपथकर्ता, एतद् द्वारा, यह सत्यापित करता/करती हूँ कि, इस शपथ पत्र की कंडिका (1) से (13) तक में अभिलिखित कथन मेरे स्वयं के ज्ञान तथा विश्वास से तथा उपलब्ध जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है तथा इस शपथ पत्र में मैंने न तो कोई तथ्य छिपाये हैं और न ही कोई मिथ्या कथन किया है।

आज दिनांक .... को स्थान .... में पढ़कर, समझकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर सत्यापित किया गया।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
तिथि सहित

पब्लिक नोटरी का सत्यापन

परिशिष्ठ–"तीन"

जन्मतिथि की पुष्टि हेतु आवेदन पत्र में निर्धारित कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर अशिक्षित/अर्द्धशिक्षित आवेदकों द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्र का नमूना

(गैर अदालती स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाये)

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री .... वर्तमान में निवासरत् ....एतद्द्वारा निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ :–

मेरा जन्म दिनांक .... को .... प्रदेश के जिला..................में स्थित ग्राम/तहसील.. में हुआ था। जन्मतिथि एवं स्थान के संबंध में मेरे पास कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है।

मैं किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता/रखती हूँ एवं अशिक्षित व्यक्ति हूँ।

मैं निष्ठापूर्वक शपथ/पुष्टि करता/करती हूँ कि, मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त विवरण सही है एवं मैंने किसी भी तथ्य को न तो छुपाया है और न ही उसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया है।

स्थान : ....

तारीख : ....

आज दिनांक .... वर्ष .... को सत्यापित किया कि, मेरे उपरोक्त शपथ पत्र में दी गई जानकारी मेरे समस्त ज्ञान से सत्य एवं सही है एवं विश्वास कराता/कराती हूँ कि, उसमें कोई भी विवरण छुपाया नहीं गया है। मुझे शपथ पत्र का विवरण पढ़कर सुनाया गया।

शपथकर्ता/वादी

प्रमाणित

प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की सील

टीप :– **शपथपत्र मजिस्ट्रेट/नोटरी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।**

परिशिष्ट–"चार"

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1. This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on .... day of the month .... 20...... between, the Government of Chhattisgarh acting through Shri. .... (Designation of the officer, Department) Government of Chhattisgarh (hereinafter called the "BUYER", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (name of the Stores/Equipment/Work/Service) and M/s .... represented by Shri .... Chief Executive Officer (hereinafter called the "BIDDER/Seller", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors an permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/ has offered.

1.2. WHEREAS the BIDDER is a Private Company/Public Company/ Government Undertaking/ Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER is a Ministry/Department of the Government, performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER and the BIDDER agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

2.1. Enabling the BUYER to obtain the desired Stores/Equipment/Work/Service at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and

22. Enabling BIDDERs to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER will commit to prevent corruption, in ay form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER

The BUYER commits itself to the following:-

3.1. The BUYER undertakes that no official of the BUYER, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2. The BUYER will, during the pre-contract stage, treat BIDDERs alike, and will provide to all BIDDERs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER which could afford an advantage to that particular BIDDER in comparison to the other BIDDERs.

3.3. All the officials of the BUYER will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER to the BUYER with the full and verifiable facts and the same prima fade found to be correct by the BUYER, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed, fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER and such a person shall be debarred from

further dealings related to the contract process. In such a case while an enquiry is being conducted by the BUYER the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDERS

The BIDDER commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means an illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract orpost-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

4.1. The BIDDER will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2. The BIDDER further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or dis-favour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3. The BIDDER further confirms and declares to the BUYER that the BIDDER in the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4. The BIDDER, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5. The BIDDER will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6. The BIDDER will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7. The BIDDER shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, orpass on to others, any information provided by the BUYER as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8. The BIDDER commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9. The BIDDER shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1. The BIDDER declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify BIDDER"s exclusion from the tender process.

5.2. If the BIDDER makes incorrect statement on this subject, BIDDER can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6.EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1. Every BIDDER while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP as Earnest Money/Security Deposit, with the BUYER through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of..

(ii) A confirmed guarantee by an Indian Nationalised Bank, promising payment of the guaranteed sum to the .... (BUYER) .... on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii)Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP).

6.2. The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER and BUYER, including warranty period, whichever is later.

6.3. In the case of successful BIDDER a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the BUYER to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4. No interest shall be payable by the BUYER to the BIDDER on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1. Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER) shall entitle the BUYER to take all or any one of the following actions, wherever required:-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER. However, the proceedings with the other BIDDER(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER and the BUYER shall not be required to assign any reason therefore.

(iii)To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER.

(iv)To recover all sums already paid by the BUYER, and in case of the Indian BIDDER with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate while in case of a BIDDER from a country other than India with interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER from the BUYER in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest.

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished by the BIDDER, in order to recover the payments, already made by the BUYER, along with interest.

(vi)To cancel all or any other contracts with the BIDDER and the BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such cancellation/rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

(vii) To debar the BIDDER from participating in future bidding processes of the Government of Chhattisgarh for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER(s) to any middlemen or agent or broken with a view to securing the contract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER with the BIDDER, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER or any employee of the BIDDER or any person acting on behalf ofthe BIDDER, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER has financial interest/stake in the BIDDER"s firm, the same shall be disclosed by the BIDDER at the time of filling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER to rescind the contract without payment of any compensation to the BIDDER.

The term "close relative" for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant"s wife or husband and wholly dependent upon Government servant.

(xi)The BIDDER shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER, and if he does so, the BUYER shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER. The BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such rescission and the BUYERshall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

7.2. The decision of the BUYER to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER shall be final and conclusive on the BIDDER. However, the BIDDER can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1. The BIDDER undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would be refunded by the BIDDER to the BUYER,. if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT MONITORS

9.1. The BUYER will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2. The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3. The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4. Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/Subcontractor(s) with confidentiality.

9.5. As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by the BUYER.

9.6. The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/Secretary in the Department/within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/BIDDER and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations

10. **FACILITATION OF INVESTIGATION**

In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER and the BIDDER shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination.

11. **LAW AND PLACE OF JURISDICTION**

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER.

12. **OTHER LEGAL ACTIONS**

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. **VALIDITY**

13.1. The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER and the BIDDER/Seller whichever is later. In case BIDDER is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2. If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at..on..........................

BUYER
Name of the Officer
Designation
Department/ PSU

Witness

1)..

2)..

BIDDER
CHIEF EXECUTTIVE OFFICER

Witness

1) ....

2) ....